डॉ. विनायक को उम्रकैद : लोकतंत्र को फांसी?

○अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

डॉ. बिनायक सेन अंतराष्ट्रीय स्तर पर जाना-पहचाना जाने वाला, तीन-तीन ख्याति प्राप्त पुरस्कारों का विजेता एक ऐसा नाम जिसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय गरीबों, मजलूमों एवं आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं उनके मानव होने के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने में बिता दिया। यही समाज सेवा व जागरुकता फैलाना उनके लिए अभिशाप बन गयी। जिस कार्य के लिए उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए उसके लिए उनको उम्रकैद की सजा दी गयी। डॉ. विनायक सेन को उम्रकैद की यह सजा भारतीय लोकतंत्र को फांसी है।

द्वितीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) की अदालत ने डॉ. विनायक सेन को नक्शली विचाराधारा के पोषक नारायण सान्याल व पिजूष गुहा के बीच सूचनाओं के अदान-प्रदान का माध्यम बनने, राजद्रोह के आरोप, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा देने वाले फैसले के पैराग्राफ 116 में लिखा है ''विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा-39(2) तथा अभियुक्त नारायण सान्याल के विरूद्ध विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा-20 का अपराध उनके संपूर्ण घटकों सहित प्रमाणित करने में सफल रहा है।'' पैराग्राफ 118 में इसके विपरीत है ''परन्तु अभियुक्तगण के भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध युद्ध करने, युद्ध करने का प्रयत्न करने या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने, विधि-विरूद्ध संगम का सदस्य बने रहने, उसकी बैठकों में भाग लेने, अभिदाय करने या उसके प्रयोजनों के लिये अभिदाय प्राप्त करने या याचना करने या ऐसे संगम की क्रियाकलापों में किसी प्रकार से सहायता करने ऐसी संपत्ति धारण करने, जो आतंकवाद करने से उत्पन्न हुई या अभिप्राप्त की गयी या आतंकवादी कोष के माध्यम से अर्जित की गयी, के तथ्य स्थापित नहीं होते हैं। इसी प्रकार अभियुक्तगण पिजूष गुहा तथा डॉ. विनायक सेन के आतंकवादी कार्य में संलग्न आतंकवादी गिरोह अथवा आतंकवादी संगठन के सदस्य रहने, आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करने के तथ्य भी स्थापित नहीं होते हैं।''

इतना ही नहीं पैराग्राफ 123 में पैराग्राफ 118 के कान्ट्रेरी आतंकवादी संगठनों को सहयोग देना लिखा है ''उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरूद्ध राजद्रोह करने का आपराधिक षड्यंत्र कारित करने जैसा गंभीर अपराध किया गया है तथा अभियुक्त नारायण सान्याल आतंकवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी) का सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा अभियुक्तगण द्वारा आतंकवादी संगठनों को सहयोग प्रदान किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में आतंकवादी तथा नक्सली संगठनों द्वारा जिस तरह से केन्द्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों, भोले-भाले आदिवासियों तथा निर्दोष लोगों की बर्बरता/निर्ममतापूर्वक नृशंस हत्याएं की जा रही हैं, उससे समूचे देश, राज्य तथा समाज में भय, आतंक और अशांति व्याप्त है, जिसे देखते हुए यह न्यायालय अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना अथवा उनके प्रति उदारता बरतते हुए उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डादिष्ट किया जाना उचित नहीं पाती है।''

इस पूरे फैसले का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि अभियोजन का साक्ष्य बिना पर्याप्त विचार किए माना गया जब कि बचाव पक्ष के सारे साक्षियों को पक्ष द्रोही (Hostile) कह कर खारिज कर दिया गया। आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध के समय और स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। दिनांक 12.04.2007 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है, मात्र बहस के लिए यह मान भी लिया जाय कि वे तीनों पत्र जिनके आधार पर डॉ. विनायक को राजद्रोह का दोषी करार दिया गया है वे 12.04.2007 से पहले के हैं। तथा जेल अधिकारियों

संदर्भगत भारतीय दण्ड विधान की धारा 124ए जब महात्मा गांधी पर उनके सरकारी डाक बंगले अहमदाबाद में दिये गये प्रसिद्ध भाषण को आधार बनाकर लगायी गयी थी तो उन्होंने न्यायाधीश से कहा था-"Section 124A, under which I am charged, is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of citizens. ....I know that some of the most loved of India's patriots have been covicted under it. I consider it a privilege, therefore, to be charged with that section."

And on a major clause in the section which is to "excite disaffection against the government", Gandhiji had a concise comment: "Affection cannot be manufactured or regulated by law."

सेन की हर मुलाकात उनके सामने हुई है।

जो सामग्री विशेष गुहा से जब्त की गयी क्या वह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित दस्तावेज के रूप में प्रतिबंधित की गयी थी?पियूष गुहा की गिरफ्तारी का स्थान क्या था?क्यों कि इस अभियोजन में उसकी गिरफ्तारी सम्राट टाकीज के पास दिखाई है जबकि जो हलफनामा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दिया है उसमें गिरफ्तारी महिन्द्रा होटल से दिखाई है। गिरफ्तारी के स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है जिसको न्यायाधीश ने न सिर्फ नजरन्दाज किया है बल्कि उसी साक्षी के बयान के अधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई है जो न तो गिरफ्तारी के समय वहाँ था न ही उसके सामने जब्ती सामान की लिस्ट बनी, जब्ती सामान की लिस्ट थाने में बनी।

अभियोजन पक्ष पूरी तरह से डॉ. विनायक सेन को आरोपित करने वाले आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है। अव्वल तो उन तीन चिट्ठियों में ऐसा कुछ था ही नहीं लेकिन यदि है भी तो मात्र इतने भर से भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 ए सिद्ध कर देना न सिर्फ हास्यापद है बल्कि शर्मनाक भी। अभियोजन ने जिन तथ्यों पर जोर देकर नारायण सान्याल, विनायक सेन व पियूष गुहा की कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया है उनमें नारायण सान्याल से डॉ. विनायक सेन की बार-बार जेल में मुलाकात, उनके संगठन का सदस्य होना, उनका रिश्तेदार होना तथा आपत्तिजनक तत्व वाले पत्र-पत्रिकाओं को अपने पास रखना है। इस संबंध ने उच्चतम न्यायालय की अवधारणना जिसे माननीय न्यायमूर्तिद्वय मार्कण्डेय काटजू एवं ज्ञानसुधा मिश्र ने State of Kerala V/s Raneef के पैराग्राफ 12(2) में दिया है अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है "The respondent,being a doctor,was under the Hippocratic oath to attempt to heal a patient.Just as it is the duty of a lawyer to defend an accused,so also it is the duty of a doctor to heal.Even a dentist can apply stitches in an emergency.Prima facie we are of the opinion that the only offence that can be leveled against the respondent is that under Section 202 I.P.C., that is, of omitting to give information of the has also to be proved beyond reasonable doubt.Section 202 is a bailable offence."..... ..... "In **Scales** vs.**United States** 367 U.S.203 Mr. Justice Harlan of the U.S. Supreme Court while dealing with the membership clause in the Mc Carran Act,1950 distinguished between active 'knowing' membership and passive, merely nominal membership in a subversive organization,and observed :

"The clause does not make criminal all association with an organization which has been shown to engage in illegal activity. A person may be foolish, deluded, or perhaps mere optimistic, but he is not by this statute made a criminal. There must be clear proof that the defendant specifically intends to accomplish the aims of the organization by resort to violence."

In **Elfbrandt** vs.**Russell** 384 US 17-19 (1966)Justice Douglas of the U.S.Supreme Court speaking for the majority observed : "Those who join an organization but do not share its unlawful purpose and who do not participate in its unlawful activities surely pose no threat,either as citizens or as public employees. A law which applies to membership without the 'specific intent' to further the illegal aims of the organization infringes unnecessarily on protected freedoms.It rests on the doctrine of 'guilt by association' which has no place here." निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में लिखा है "A doctor incarcerated for a long period may end up like Dr.Manette in Charles Dicken's novel 'A Tale of Two Cities', who forgot his profession and even his name in the Bastille."

इस उम्रकैद की नीवं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय में ही पड़ गयी थी जब डॉ. विनायक सेन ने आदिवासी अधिकारों की अलख जगाते हुए उनको विस्थापित करके प्राकृतिक वन संपदा व खनिज की सरकार और पूंजीपतियों द्वारा उनके दोहन पर रोक लगाने का बीड़ा उठाया था। इन्हीं